न्यायालय उपखण्ड अधिकारी छबड़ा जिला बारां (राज

क्रमांक ....17/25 दिनांक 18.09.2025

-- :: निर्णय :: --

प्रार्थी श्री राजकुमार मीना पुत्र/पुत्री/पत्नि श्री गोपी .... ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि ग्राम कमालपुरा पटवार मण्डल भूलोन तहसील छबड़ा जिला बारां की चालू जमाबंदी सम्वत् 2075-78 के खाता संख्या 10 में खातेदार/गैरखातेदार का नाम/जाति राजू पुत्र गोपी अंकित है जो सम्मानजनक नहीं है। जिसे सम्मानजनक रूप से राजकुमार मीना अंकित किया जावे। प्रार्थी के आवेदन पत्र की जांच पटवारी भूलोन से करवाने पर पटवारी ने राजू के बजाय राजकुमार मीना करना उचित बताया। तहसीलदार छबड़ा ने भी उक्त खाते में राजू के बजाय राजकुमार करना उचित बताया।

अतः पटवारी एवं तहसीलदार की रिपोर्ट के आधार पर धारा 136 राजस्थान भूराजस्व अधिनियम 1956 एवं नियम 369 राजस्थान भूराजस्व (भू अभिलेख) नियम 1957 के अन्तर्गत ग्राम कमालपुरा के खाता संख्या 10 में खातेदार/गैरखातेदार का नाम/जाति राजू के स्थान पर सम्मानजनक रूप से राजकुमार दर्ज करने का आदेश दिया जाता है। तहसीलदार छबड़ा तद्नुसार राजस्व रिकार्ड में दुरूस्ती करें।

उपखण्ड अधिकारी
(Land Record Officer)
छबड़ा जिला बारां (राज.)